

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 1005/2023 (धारा 14 सेक्युरिटीआईजेसन)
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय- बगसू, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स डीएसबी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्रीमती विद्या देवी, नीतू चौधरी एवं बिजेन्द्र सिंह,
पता:- प्लेट नं. सी-205, अनुकंपा रेजीडेन्सी, रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल के सामने, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर
एवं जी-1-193 बिदायका औद्योगिक क्षेत्र रोड नं. 10, जयपुर।
2. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री राम मुरारी जरिये निदेशक मैसर्स डीएसबी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड,
पता:- प्लेट नं. सी-205, अनुकंपा रेजीडेन्सी, रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल के सामने, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. श्रीमती नीतू चौधरी पत्नी श्री दिनेश ओला जरिये निदेशक मैसर्स डीएसबी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड,
पता:- प्लेट नं. सी-205, अनुकंपा रेजीडेन्सी, रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल के सामने, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर
एवं मकान नं.782, कामीलपुर पट्टी, धाना मोहल्ला सीकरी, चक नं. 01, सीकरी, भरतपुर।
4. श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जरिये निदेशक मैसर्स डीएसबी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड,
पता:- प्लेट नं. सी-205, अनुकंपा रेजीडेन्सी, रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल के सामने, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर
एवं मुकाम पोस्ट मानोता कला, नगर, भरतपुर।
5. श्री राम मुरारी पुत्र श्री कल्याण सिंह जरिये निदेशक मैसर्स डीएसबी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड,
पता:- प्लेट नं. सी-205, अनुकंपा रेजीडेन्सी, रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल के सामने, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 24.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती विद्या देवी एवं श्री राम मुरारी के संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नं. सी-205, अनुकंपा रेजीडेन्सी, रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल के सामने, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 900 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 07.10.2019 को राशि 45,00,000/- रुपये, दिनांक 02.06.2020 को राशि 07,60,000/- रुपये एवं दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



02.12.2021 को राशि 04,70,000/- रुपये कुल राशि 57,30,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीमाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 57,30,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 55,02,490.59/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.08.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती विद्या देवी एवं श्री राम मुरारी के संयुक्त स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लेट नं. सी-205, अनुकंपा रेजीडेन्सी, रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल के सामने, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 24.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला माजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर